कार्यालय कलेक्टर जिला–महासमुन्द (छ.ग.)

//भर्ती हेतु विज्ञापन//

क्रमांक 1075 /क/वित्त–स्था/2015, महासमुन्द, दिनांक 23 सितम्बर, 2015

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2–63/2015/सात–2, दिनांक 03 सितम्बर, 2015 द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत जिला महासमुंद के लिए निम्नांकित पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने की दी गयी स्वीकृति के अनुसार संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी/मूल निवासी उम्मीदवारों से दिनांक 12.. अक्टूबर, 2015 तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:–

(A) स्टेनो टायपिस्ट. **वेतनमान 5200–20200+GP.1900**

क्र.	विवरण.	अजा.	अजजा.	अपिव.	अनारक्षित.	योग.
1	कुल संख्या.	–	02.	–	02	04
2	महिला (30%)	–	01	–	01.	02.
3	मुक्त.	–	01.	–	01.	02.
4	योग (2+3)	–	02.	–	02.	04.
5	**बैंकलॉग के पद**	**01.**	**01.**	–	–	**02.**
	महायोग (4+5)	01.	03.	–	02.	06.

(B) सहायक ग्रेड–3. **वेतनमान 5200–20200+GP.1900**

क्र.	विवरण.	अजा.	अजजा.	अपिव.	अनारक्षित.	योग.
1	कुल संख्या.	02	04	02	08	16
2	महिला (30%)	01	01	01	02	05
3	भूतपूर्व सैनिक (10%)	–	–	–	01	01
4	मुक्त.	01	03	01	05	10
5	योग (2+3+4)	02	04	02	08	16

(C) वाहन चालक. **वेतनमान 5200–20200+GP.1900**

क्र.	विवरण.	अजा.	अजजा.	अपिव.	अनारक्षित.	योग.
1	कुल संख्या.	01.	01.	01.	02.	05.

2/ विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञप्ति पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं, आयु, चयन की प्रक्रिया, आवेदन पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप इत्यादि जिला कार्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट cg.nic.in/mahasamund व www.cgstate.gov.in में देखी जा सकती है।

कलेक्टर
महासमुंद.

कार्यालय कलेक्टर जिला–महासमुन्द (छ.ग.)

//विज्ञापन की शर्तें एवं नियम की विस्तृत जानकारी//

(1) **शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं:–**

(A) **स्टेनो टायपिस्ट.**

(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.

अथवा

पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(B) **सहायक वर्ग–03.**

(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.

अथवा

पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

टीप :–सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–4/2015/1/3, दिनांक 23.01.2015 के अनुसार सहायक ग्रेड–3 एवं स्टेनो टायपिस्ट के पदों पर नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर संबंधी अर्हता हेतु छ.ग. शासन तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि को मान्यता प्रदान की गई है :–

1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)
3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यलय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि।
4. DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

(C) **वाहन चालक.**

1–छ.ग.शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण.

2–सक्षम व्यावसायिक वाहन चालन अनुज्ञप्ति.

(2) **निर्धारित आयु सीमा:–**छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत् निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :–

1– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

2– छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मण्डलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी.

3– संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी.

4– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अतर्गत अपने नाम पर ''ग्रीनकार्ड'' धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी.

5– आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1, दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

6– राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

7– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

8– भूतपूर्व सैनिक हेतु नियमानुसार आयु सीमा में छूट होगी.

महत्वपूर्ण टीपः–उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट दिए जाने के उपरान्त शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नही होगी। आयु की गणना दिनांक 01.01.2015 के संदर्भ में की जाएगी।

(3) आवेदन पत्र भरने संबंधी शर्तें/निर्देश/जानकारीः–

1– प्रत्येक पदो के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा। आवेदक लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम, जाति वर्ग तथा आवेदक का नाम व पता स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5/–रू. का डाक टिकिट लगा एक खाली लिफाफा 9'×4' के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

2– आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें.

3– आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा जिसकी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें.

4– आयु सीमा मे छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक है.

5– आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकायें.

6– आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा.

7– आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र मे दिनांक 12. अक्टूबर, 2015 तक ''कार्यालय कलेक्टर (वित्त स्थापना), कक्ष क्रमांक 19, बी.टी.आई. रोड, जिला महासमुंद (छ.ग.) Pin Code 493445'' के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों–हाथ

आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएंगे। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप/प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नही होंगे उस पर विचार नही किया जाएगा.

8— अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी.

9— विज्ञप्ति जारी दिनांक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा.

10— आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें। शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपात्रता पाए जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

11— ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था मे सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

12— चयन/नियुक्ति उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

13— चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा

14— पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है। विज्ञापन दिनांक से आगामी 1 वर्ष तक किन्ही भी कारण से उत्पन्न रिक्तता इसी विज्ञापन से प्राप्त पात्र आवेदकों से नियमानुसार भरी जा सकेगी।

15— समस्त पद पर शासन द्वारा जारी निर्देशों/नियमों के अनुसार वर्टिकल व होरीजोण्टल आधार पर पदों का आरक्षण रहेगा।

16— यह नियुक्तियॉ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें), नियम 1961 एवं छत्तीसगढ़ राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) भर्ती नियम, 1985 से शासित होगी।

17— विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार ''कलेक्टर, जिला महासमुंद'' का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नही किया जाएगा एवं कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा.

18— आवेदनकर्ता विज्ञापन का विस्तृत विवरण जिला कार्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट cg.nic.in/mahasamund व www.cgstate.gov.in में देख सकते है.

19— विज्ञाप्ति पदों पर की जा रही भर्ती के संबंध में आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सूचना भेजी जावेगी तथा उसे जिला कार्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाईट cg.nic.in/mahasamund व www.cgstate.gov.in में भी अपलोड की जावेगी। यदि किन्ही कारणों से व्यक्तिगत् सूचना की प्राप्ति में विलम्ब होने/सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में सूचना पटल/वेबसाईट में जारी जानकारी/सूचना को ही आवेदक को सूचित होना माना जावेगा.

20— इस विज्ञापन के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियां माननीय न्यायालय, द्वारा छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी.

(4) नियुक्ति के लिए अपात्रताः—

1— कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा.

2— कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार,

जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, नियुक्ति के लिए निरर्हित नही होगा।

(5) **चयन की प्रक्रियाः**–नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदो के प्रवर्गवार 10 गुना उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगेः–

1– **स्टेनो टायपिस्ट.**

A	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता. हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (10+2).	60 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60% के बराबर अंक)
B	हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में एवं डॉटा एन्ट्री की गति 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा.	40 अंक.
-		100 अंक.

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में निर्धारित अंको में 50% अंक अर्थात कम से कम 20 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नही।

2– **सहायक ग्रेड–3.**

A	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता. हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (10+2).	60 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60% के बराबर अंक)
B	कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा.	40 अंक.
-	कुल निर्धारित अंक.	100 अंक.

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में निर्धारित अंको में 50% अंक अर्थात कम से कम 20 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नही।

3– **वाहन चालक.**

A	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	60 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60% के बराबर अंक)
B	वाहन चालन के कौशल/दक्षता परीक्षा हेतु. (चयन समिति द्वारा वाहन चलवाकर परीक्षा ली जावेगी)	30 अंक
C	साक्षात्कार हेतु.	10 अंक
	कुल निर्धारित अंक.	100 अंक

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। वाहन चालन के कौशल/दक्षता परीक्षा व साक्षात्कार हेतु (दोनो को सम्मिलित कर) निर्धारित अंको में 50% अंक अर्थात कम से कम 20 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नही।

कलेक्टर
महासमुंद.

स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड–3, वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप.

प्रति,

कलेक्टर,
जिला महासमुंद (छ.ग.)

फोटो चस्पा करें (स्वयं के द्वारा सत्यापित)

(1) आवेदित पद का नाम. _____
(2) आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) _____
(अंग्रेजी में) _____
(3) पिता/पति का नाम. _____
(4) (अ) जन्म तिथि अंको में _____
(ब) शब्दों में. _____
(स) दिनांक 01.01.2015 को आयु. _____
(5) लिंग (पुरूष/महिला) वर्ष————माह————दिन————
(6) शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता. _____

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम.	उत्तीर्ण करने का वर्ष.	कुल अंक.	प्राप्तांक.	प्रतिशत.
1	2	3	4	5	6	7

(7) पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता. _____

(8) स्थायी पता. _____

(9) दूरभाष/मोबाईल नम्बर. _____
(10) रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक. (सत्यापित प्रति संलग्न करें) _____
(11) क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा/अजजा/अपिव. के सदस्य है ? यदि हां तो उल्लेख करें। _____
(12) क्या आवेदक छ.ग.राज्य का मूल निवासी है ? (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे) . _____
(13) क्या आवेदक विवाहित है ? हां/नहीं. _____
(14) यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि. _____
(15) जीवित संतान की संख्या _____
(16) यदि दो से अधिक जीवित संतान है तब अंतिम संतान की जन्मतिथि _____
(17) यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत हो तो विवरण (नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें) _____
(18) सक्षम व्यावसायिक वाहन चालन अनुज्ञप्ति का विवरण. _____
(19) संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची. _____

1————2————3————4————5————

दिनांक: :– ————————
स्थान :– ————————

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं नाम.

घोषणा.

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठी पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :– ————————
स्थान :– ————————

आवेदक के हस्ताक्षर